संख्या-05/2018/1912/29-6-2018-300सा0/03टीसी

प्रेषक,

अभिषेक सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक: 06 सितम्बर, 2018

विषय:- ग्रामीण क्षेत्रों की उचित दर दुकानों के चयन, निलम्बन/निरस्तीकरण एवं सम्बद्धीकरण के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1/2017/607/29-6-2017-300सा0/03टीसी, दिनांक 13-04-2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित दर दुकानों के निरीक्षण और उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही में एकरूपता लाये जाने हेतु शासनादेश संख्या-3126/29-6-2004/300सा0/03टीसी, दिनांक 30-9-2004 में आंशिक संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की गयी थी कि ''उप जिलाधिकारी अपने तहसील में स्थित सभी दुकानों का निरीक्षण तो कर सकते हैं, किन्तु उनके विरूद्ध दण्डात्मक (निलम्बन/निरस्तीकरण) एवं बहाल की कार्यवाही जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से पत्रावली पर जिलाधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही करेंगे।''

2- उपरोक्त व्यवस्था के अंतर्गत व्यावहारिक/प्रशासनिक कठिनाई है कि उप जिलाधिकारी सम्बन्धित जिला पूर्ति अधिकारी से सीनियर बैच के होते हैं अथवा एक ही बैच के होने के कारण वरिष्ठता क्रम में उप जिलाधिकारी वरिष्ठ होते हैं।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 13-4-2017 के प्रस्तर-2 में दी गयी प्रक्रिया के स्थान पर निम्नानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :-

1- उप जिलाधिकारी अपने तहसील अंतर्गत सभी दुकानों का निरीक्षण तो कर सकेंगे, किन्तु विक्रेताओं के विरूद्ध दण्डात्मक (निलम्बन/ निरस्तीकरण) एवं बहाल की कार्यवाही हेतु अपनी आख्या जिलाधिकारी को प्रेषित करेंगे।
2- जिलाधिकारी द्वारा आवश्कतानुसार संबंधित प्रकरण में जिला पूर्ति अधिकारी से विभागीय अभिमत प्राप्त किया जायेगा।

क्रमश:----2/- पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- जिलाधिकारी का लिखित निर्णय प्राप्त होने के उपरान्त उप जिलाधिकारी द्वारा विक्रेताओं के विरूद्ध दण्डात्मक (निलम्बन/निरस्तीकरण) एवं बहाल की कार्यवाही करते हुए, प्रश्नगत दुकान की स्थिति के संबंध में ऑनलाइन प्रविष्टि अंकित की जायेगी। उप जिलाधिकारी द्वारा प्रकरण में कृत कार्यवाही की एक प्रति जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय को अनिवार्य तौर पर उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि उचित दर विक्रेताओं के कार्यरत होने की स्थिति को अद्यतन किया जा सके।

4- उक्त शासनादेश दिनांक 13-4-2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(अभिषेक सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनउ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त संभागीय खाद्य नियंत्रक, उ0प्र0।
4- समस्त सहायक आयुक्त, खाद्य, उ0प्र0।
5- समस्त उप संभागीय विपणन अधिकारी, उ0प्र0।
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अभिषेक सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।